नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Raipur Main - 30 Jul 2025 - 30p13
epaper.navabharat.news

शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर की याचिका फिर खारिज

एसीबी और ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी को बताया है अवैध

नवभारत ब्यूरो। बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी)और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की गिरफ्तारी को अवैधानिक बताते हुए एफआईआर रद्द करने समेत कई मांगें थीं। ईडी के अनुसार सिंडिकेट बनाने वाले कारोबारी अनवर ढेबर को 90 करोड़ से ज्यादा मिले थे।

करोड़ों के राजस्व का नुकसान : हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य शासन की तरफ से बताया गया कि सरकारी शराब दुकानों से अवैध शराब डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेची गई थी, जिससे शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। यह गंभीर अपराध है। इसमें अनवर ढेबर की अहम भूमिका सामने आई है। आरोपी की दो जमानत याचिकाएं पहले ही खारिज की जा चुकी हैं। तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

सिंडिकेट के जरिए घोटाला : शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच रिपोर्ट के आधार पर एसीबी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था।

याचिका में प्रमुख क्या: अनवर ने अपनी याचिका में एफआईआर और गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अनवर ने बताया कि उसे अवैध तरीके से रिमांड पर लिया गया। इसलिए राहत दी जाए। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का हवाला देते हुए कहा कि उसे 4 अप्रैल को बिना सूचना हिरासत में लिया गया। परिवार को भी सूचना नहीं दी गई। अगले दिन दोपहर 2 बजे औपचारिक गिरफ्तारी की गई। अनवर ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी का पंचनामा, कारणों की सूचना और केस डायरी की कॉपी उसे नहीं दी गई। यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है।

जगदलपुर बीईओ का निलंबन आदेश रद्द

नवभारत ब्यूरो। बिलासपुर। जगदलपुर में पदस्थ बीईओ मानसिंह भारद्वाज के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया गया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि कलेक्टर को ऐसा आदेश देने का क्षेत्राधिकार नहीं है। मानसिंह भारद्वाज ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर बताया था कि वे 2 से 6 जून 2025 तक भतीजे की शादी में शामिल होने मध्यप्रदेश के सिवनी गए थे। उनकी छुट्टी स्वीकृत थी, लेकिन 4 जून को उसे रद्द कर दिया गया और 5 जून को उपस्थिति देने का निर्देश मिला। वे लौटते उससे पहले ही 6 जून को निलंबन आदेश जारी कर दिया गया।